रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 108] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 16, 2013/चैत्र 26, 1935
No. 108] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 16, 2013/CHAITRA 26, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 16 अप्रैल, 2013

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013

सं.एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् : —

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,—

(i) विनियम 2 में, —

(क) उप-विनियम (थ) में, —

(I) चिह्न " ; " के लिए, चिह्न " : " प्रतिस्थापित हो जायेगा;

(II) निम्नलिखित नया परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"परंतु यह कि अवसंरचना ऋण निधि (इन्फ्रास्ट्रक्चर डैट फंड) स्कीमें यूनिटों के निजी स्थानन (प्राइवेट प्लेसमेंट) के माध्यम से धनराशि जुटा सकेंगी, इन विनियमों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन ;"

(ख) उप-विनियम (धक) उप-विनियम (धख) के रूप में संख्यांकित हो जायेगा और बोर्ड द्वारा बनाये गये किसी विनियम अथवा जारी किसी परिपत्र या मार्गदर्शक सिद्धाँत (गाइडलाइन) में तत्संबंधी किसी संदर्भ को, तदनुसार पढ़ा जायेगा ;

(ग) उप-विनियम (ध) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"(धक) "निजी स्थानन" ("प्राइवेट प्लेसमेंट") से पारस्परिक निधि स्कीम की यूनिटों का कोई प्रस्ताव या चुनींदा व्यक्तियों के समूह को ऐसी यूनिटों में अभिदान का आमंत्रण, पारस्परिक निधि द्वारा (सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से भिन्न) स्थानन ज्ञापन (प्लेसमेंट मेमोरंडम) के निर्गमन के माध्यम से और जिसकी प्रकल्पना इस प्रकार नहीं की जा रही है कि उसके परिणामस्वरूप, प्रस्ताव या आमंत्रण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों से भिन्न व्यक्तियों द्वारा अभिदान या क्रय के लिए यूनिटें, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, उपलब्ध हो जायें, अभिप्रेत है ; "

(ii) विनियम 49ठ में,—

(क) शब्द "विशेष प्रयोजन वाहनों", जहाँ कहीं भी वे आते हों, शब्दों "विशेष प्रयोजन माध्यमों" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ;

(ख) खंड (3) में, उप-खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित नये उप-खंड अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्—

"(iv) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रजिस्ट्रीकृत संपूर्ण प्रणाली की दृष्टि से (सिस्टमिकली) महत्त्वपूर्ण गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियाँ ;

(v) बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता (निवेशक), उनकी लागू विनिधान (निवेश) सीमाओं के अध्यधीन, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार दीर्घकालिक विनिधानकर्ता (निवेशक) हैं ।"

(iii) विनियम 49ढ के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"**प्रस्ताव अवधि**

49**ढक**. अवसंरचना ऋण निधि की कोई भी स्कीम, सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में, अभिदान हेतु पैंतालीस दिनों से अधिक के लिए खुली नहीं रहेगी।"

(iv) विनियम 49-ण में, उप-विनियम (1) में,—

(क) शब्द "अंतराल अवधि एक माह से अधिक लंबी न हो", शब्दों "विनिर्दिष्ट संव्यवहार अवधि पैंतालीस दिनों से अधिक की न हो" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ;

(ख) पूर्ण विराम, चिह्न " : " से प्रतिस्थापित हो जायेगा ;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"परंतु यह कि स्कीम की अवधि दो वर्षों तक बढ़ायी जा सकेगी, दो-तिहाई यूनिटधारकों, स्कीम में उनके विनिधान (निवेश) के मूल्य के अनुसार, के अनुमोदन के अध्यधीन ।"

(v) विनियम 49-ण के पश्चात्, एक नया उप-विनियम अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"**निजी स्थानन**

49-**णक**. (1) अवसंरचना ऋण निधि स्कीम की यूनिटों का प्रस्ताव पचास से कम व्यक्तियों को निजी स्थानन के माध्यम से किया जा सकेगा, न्यासियों और आस्ति प्रबंध कंपनी के बोर्ड द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किया गया प्रस्ताव, निम्नलिखित के अध्यधीन होगा :

(क) स्थानन ज्ञापन, बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट प्रकार से, पारस्परिक निधि द्वारा बोर्ड के पास स्कीम को लाये जाने से कम से कम सात दिन पूर्व दाखिल किया जायेगा ; और

(ख) पारस्परिक निधि दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट दाखिल करने की फीस बोर्ड को अदा करेगी।"

(vi) विनियम 49त में, —

(क) शब्द "विशेष प्रयोजन वाहन", जहाँ कहीं भी वे आते हों, शब्दों "विशेष प्रयोजन माध्यम" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ;

(ख) शब्द "विशेष प्रयोजन वाहनों", जहाँ कहीं भी वे आते हों, शब्दों "विशेष प्रयोजन माध्यमों" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ;

(ग) उप-विनियम (1) में, —

(I) पूर्ण विराम के लिए, चिह्न " : " प्रतिस्थापित हो जायेगा ;

(II) निम्नलिखित नये परंतुक अंतःस्थापित किये जायेंगे, अर्थात्—

"परंतु यह कि स्कीम की अंडरलाइंग आस्तियों की बाबत मूलधन के प्रतिसंदाय के कारण प्राप्त निधियों, चाहे पूर्व-संदाय के रूप में या अन्यथा, का विनिधान (निवेश) इस उप-विनियम में यथा विनिर्दिष्ट रूप से किया जायेगा :

परंतु यह और कि यदि इस उप-विनियम में विनिर्दिष्ट विनिधान (निवेश) उपलब्ध न हों, तो ऐसी निधियों का विनिधान (निवेश) लोक वित्तीय संस्थाओं और अवसंरचना वित्त कंपनियों के बॉण्डों में किया जा सकेगा।"

(घ) उप-विनियम (5) में, —

(I) शब्दों "जिनकी रेटिंग विनिधान (निवेश) श्रेणी से नीचे की हो या जिनकी रेटिंग हुई न हो" का लोप हो जायेगा ;

(II) परंतुक का लोप हो जायेगा ;

(ङ) उप-विनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप-विनियम और परंतुक अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

"(5क) अवसंरचना ऋण निधि स्कीम द्वारा अवसंरचना कंपनियों या परियोजनाओं या विशेष प्रयोजन माध्यमों, जो अवसंरचना में विनिधान (निवेश) को सुकर बनाने या का संवर्धन करने के प्रयोजनार्थ सृजित हैं की ऋण लिखतों या आस्तियों अथवा अवसंरचना कंपनियों या परियोजनाओं या विशेष प्रयोजन माध्यमों की पूर्ण या आमदनी जनित करने वाली परियोजनाओं की बाबत बैंक ऋणों में, जिनकी रेटिंग विनिधान (निवेश) श्रेणी से नीचे की हो या जिनकी रेटिंग हुई न हो, समग्र विनिधान (निवेश) स्कीम की शुद्ध आस्तियों के 30% से अधिक नहीं होंगे :

परंतु यह कि समग्र विनिधान (निवेश) सीमा न्यासियों और आस्ति प्रबंध कंपनी के बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से स्कीम की शुद्ध आस्तियों के 50% तक बढ़ सकेगी ।"

(च) उप-विनियम (6) में, —

(I) खंड (i) में, शब्दों "असूचीगत प्रतिभूति में" के पश्चात् शब्द "विनिधान (निवेश) नहीं करेगी" अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

(II) खंड (ii) में, शब्दों "असूचीगत प्रतिभूति में" के पश्चात् शब्द "विनिधान (निवेश) नहीं करेगी" अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

(III) खंड (iii) में, शब्दों तथा चिह्न "शुद्ध आस्तियों के पच्चीस प्रतिशत से अधिक," के पश्चात् शब्द "विनिधान (निवेश) नहीं करेगी" अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

(IV) खंड (iv) के लिए, निम्नलिखित प्रतिस्थापित हो जायेगा, अर्थात्—

"(iv) प्रायोजक या आस्ति प्रबंध कंपनी या उनके सहयुक्तों की अपनी स्वयं की किसी आस्ति या प्रतिभूति में स्कीम की शुद्ध आस्तियों के 30% से अधिक विनिधान (निवेश) नहीं करेगी, परंतु यह कि—

(क) ऐसा विनिधान (निवेश) उन आस्तियों या प्रतिभूतियों में हो जो विनिधान (निवेश) श्रेणी से नीचे की न हों ;

(ख) प्रायोजक या इसके सहयुक्त आस्तियों या प्रतिभूतियों, जिनमें विनिधान (निवेश) स्कीम द्वारा किया जाता है, का कम से कम 30% रखे रहें, जब तक आस्तियाँ या प्रतिभूतियाँ स्कीम के पोर्टफोलियो में धारित हों ; और

(ग) ऐसे विनिधान (निवेश) के लिए अनुमोदन न्यासियों द्वारा प्रदान किया जाता हो और ऐसे विनिधान (निवेश) के संबंध में विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को पूर्ण प्रकटीकरण किये जाते हों।"

(vii) दूसरी अनुसूची में, पैरा I में, मद घ में -

(क) शब्द "प्रस्ताव दस्तावेजों" के पश्चात्, शब्द "और स्थानन ज्ञापनों" अंतःस्थापित किये जायेंगे ;

(ख) शब्द "नए निधि प्रस्ताव में", शब्दों "यथास्थिति नये निधि प्रस्ताव में या निजी स्थानन के माध्यम से" से प्रतिस्थापित हो जायेंगे ।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/69 जैड बी]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात्—

(क) 15 अप्रैल, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327 (अ), द्वारा

(ख) 12 जनवरी 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं.32 (अ), द्वारा

(ग) 8 दिसम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223 (अ), द्वारा

(घ) 14 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235 (अ), द्वारा

(ङ) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278 (अ), द्वारा

(च) 22 मई, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484 (अ), द्वारा

(छ) 23 जनवरी, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69 (अ), द्वारा

(ज) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

(झ) 23 जुलाई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698 (अ), द्वारा

(ञ) 20 फरवरी, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219 (अ), द्वारा

(ट) 11 जून, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625 (अ), द्वारा

(ठ) 30 जुलाई, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809 (अ), द्वारा

(ड) 9 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 956 (अ), द्वारा

(ढ) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045 (अ), द्वारा

(ण) 29 मई, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 632 (अ), द्वारा

(त) 12 जनवरी, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा

(थ) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398 (अ), द्वारा

(द) 12 जनवरी, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा

(ध) 22 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा

(न) 3 अगस्त, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा

(प) 27 दिसम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा

(फ) 27 दिसम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा

(ब) 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा

(भ) 31 अक्तूबर, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा

(म) 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा

(य) 16 अप्रैल, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03/123042, द्वारा

(यक) 22 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा

(यख) 29 सितम्बर, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/139426, द्वारा

(यग) 8 अप्रैल, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/159601, द्वारा

(यघ) 5 जून, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/07/165404, द्वारा

(यङ) 29 जुलाई, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा

(यच) 30 अगस्त, 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/27668, द्वारा

(यछ) 21 फरवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा

(यज) 26 सितम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 16th April, 2013

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
MUTUAL FUNDS (AMENDMENT) REGULATIONS, 2013

No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.— In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely:-

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, —

(i) in regulation 2, -

(A) in sub-regulation (q), -

(I) for the symbol ";" the symbol ":" shall be substituted;

(II) the following new proviso shall be inserted, namely,-

"Provided that infrastructure debt fund schemes may raise monies through private placement of units, subject to the conditions specified in these regulations; "

(B) sub-regulation (sa) shall be numbered as sub-regulation (sb) and any reference thereto in any regulation framed or any circular or guideline issued by the Board, shall be read accordingly;

(C) after sub-regulation (s), the following new sub-regulation shall be inserted, namely-

"(sa) "private placement" means any offer of units of a mutual fund scheme or invitation to subscribe such units to a select group of persons, by a mutual fund (other than by way of public offer) through issue of a placement memorandum and which is not being calculated to result, directly or indirectly in the units becoming available for subscription or purchase by persons other than those receiving the offer or invitation;"

(ii) in regulation 49L, in clause (3), after sub clause (iii), the following new sub-clauses shall be inserted, namely,-

"(iv) Systemically Important Non Banking Financial Companies registered with Reserve Bank of India;

(v) Foreign Institutional Investors registered with the Board, subject to their applicable investment limits, which are long term investors in terms of the norms specified by SEBI."

(iii) after regulation 49N, the following new regulation shall be inserted, namely-

"**Offering period.**

49NA. No scheme of an infrastructure debt fund, in the case of a public offer, shall be open for subscription for more than forty five days."

(iv) in regulation 49-O, in sub-regulation (1), -

(A) the words "interval period not longer than one month" shall be substituted with the words "specified transaction period of not more than forty five days";

(B) the full stop shall be substituted with the symbol ":" ;

(C) the following proviso shall be inserted, namely-

"Provided that the tenure of the scheme may be extended to two years subject to approval of two-thirds of the unitholders by value of their investment in the scheme."

(v) after regulation 49-O, a new sub-regulation shall be inserted, namely-

"**Private Placement.**

49-OA. (1) The units of an infrastructure debt fund scheme may be offered through private placement to less than fifty persons , subject to approval by the trustees and the board of the asset management company.

(2) The offer made under sub-regulation (1), shall be subject to the following:

(a) A placement memorandum, in the manner as specified by the Board, shall be filed by the mutual fund with the Board at least seven days prior to the launch of the scheme; and

(b) the mutual fund shall pay to the Board, filing fee as specified in the Second Schedule."

(vi) in regulation 49P, -

(A) in sub- regulation (1) -

(I) for the full stop, the symbol ":" shall be substituted;

(II) the following new provisos shall be inserted, namely-

" Provided that the funds received on account of re-payment of principal, whether by way of pre-payment or otherwise, with respect to the underlying assets of the scheme, shall be invested as specified in this sub-regulation:

Provided further that if the investments specified in this sub-regulation are not available, such funds may be invested in bonds of Public Financial Institutions and Infrastructure Finance Companies."

(B) in sub-regulation (5), -

(I) after the words "or project or special purpose vehicle", a full stop shall be inserted;

(II) the symbols and words ",which are rated below investment grade or unrated:" shall be omitted;

(III) the proviso shall be omitted;

(C) after sub-regulation (5), the following new sub-regulation and proviso shall be inserted, namely, -

"(5A) The overall investments by an infrastructure debt fund scheme in debt instruments or assets of infrastructure companies or projects or special purpose vehicles, which are created for the purpose of facilitating or promoting investment in infrastructure or bank loans in respect of completed and revenue generating projects of infrastructure companies or projects or special purpose vehicles, which are rated below investment grade or are unrated, shall not exceed 30% of the net assets of the scheme:

Provided that the overall investment limit may increase upto 50% of the net assets of the scheme with the prior approval of the trustees and the board of the asset management company."

(D) in sub-regulation (6), for clause (iv), the following shall be substituted, namely, -

"(iv) any asset or securities owned by the sponsor or asset management company or their associates in excess of 30% of the net assets of the scheme, provided that-

(a) such investment is in assets or securities not below investment grade;

(b) the sponsor or its associates retains atleast 30% of the assets or securities, in which investment is made by the scheme, till the assets or securities are held in the scheme portfolio; and

(c) approval for such investment is granted by the trustees and full disclosures are made to the investors regarding such investment."

(vii) in Second Schedule, in paragraph I, in item D, -

(A) after the words "Filing fees for offer documents" the words "and placement memoranda" shall be inserted;

(B) after the words "amount raised in the new fund offer" and before the symbol and words ", subject to a minimum of", the words and symbol "or by way of private placement, as the case may be" shall be inserted.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT III/4/Exty./69 ZB]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856 (E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended–

(a) on April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No.327 (E).

(b) on January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No.32 (E).

(c) on December 08, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No.1223 (E).

(d) on March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.235 (E).

(e) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.278 (E).

(f) on May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No.484 (E).

(g) on January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.69 (E).

(h) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.476 (E).

(i) on July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No.698 (E).

(j) on February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.219 (E).

(k) on June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.625 (E).

(l) on July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.809 (E).

(m) on September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No.956 (E).

(n) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No.1045 (E).

(o) on May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632 (E).

(p) on January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.

(q) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398 (E).

(r) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38 (E).

(s) on May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783 (E).

(t) on August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254 (E).

(u) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.

(v) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.

(w) on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.

(x) on October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.

(y) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.

(z) on April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LAD-NRO/ GN/2008/03/123042.

(za) on May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/GN/2008/09/126202.

(zb) on September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LAD-NRO/ GN/2008/24/139426.

(zc) on April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.

(zd) on June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD- NRO/GN/2009-10/07/165404.

(ze) on July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.

(zf) on August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.

(zg) on February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.

(zh) on 26th September, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.